मध्य प्रदेश में सिंचाई का सही आँकड़ा जानना कठिन

द रिसर्च कलेक्टिव

अगस्त २०२२

द रिसर्च कलेक्टिव, प्रोग्राम फॉर सोशल एक्शन की शोध इकाई है, जो विकास, उधोग, दीर्घकालीन विकल्प, समान वृद्धि, प्राकृतिक संसाधन,समुदाय और जन अधिकार के सैद्धांतिक ढांचों और व्यावहारिक पहलुओं पर शोध को संचालित करता है | अर्थशास्त्र, कानून, राजनीती, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान जैसे विभन्न विषयों को समेटते हुए, उसका काम लोगों के अनुभवों और समुदाय के परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है | हमारे काम का मकसद है जमीनी हकीकत को प्रतिबिम्बित करना, विनाशकारी विकास के प्रतिमानों को चुनवती देना तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, पर्यावरण सम्बन्धी और सांस्कृतिक मामलों को लेकर जानकारी पर आधारित बहस को जन्म देना |

शोधकर्ता - रेहमत मंसूरी
कवर सज्जा: मिडिया कलेक्टिव (मुसतुजब मक्कोलथ)

प्रकाशक: द रिसर्च कलेक्टिव- पी.एस.ए.
अगस्त २०२२

निजी वितरण हेतु
सहयोग राशी: 20/-

प्रतियों के लिए संपर्क करें:
प्रोग्राम फॉर सोशल एक्शन
जी-46 (फस्ट फ्लोर), ग्रीन पार्क (मेन)
नई दिल्ली- 110016
फोने नं.:+91-11-26561556
ई-मेल: trc@psa-india.net

मध्यप्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसने सबसे तेज सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने का दावा किया है। पिछले दशक में प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन की विभिन्न श्रेणियों में लगातार 7 बार कृषि कर्मण परस्कार भी मिले हैं। ऐसे में राज्य की छवि देश के अनाज के कटोरे के लिए में गढ़ी जा रही है।

हालांकि सरकारी सेवाओं के तटस्थ विश्लेषण के लिए आँकड़ों के संबंध में सरकारों का पारदर्शी रवैया बहुत जरूरी है। लेकिन, मध्यप्रदेश में सिंचाई संबंधी आँकड़ों की सार्वजनिक रूप से उपलब्धता न होने से इस पर सवाल हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने भी अपनी जाँच में सिंचित क्षेत्र के सरकारी आँकड़ों को सच्चाई से परे पाया है। इसी संदर्भ में मध्यप्रदेश की सिंचाई क्षमता की पड़ताल करता यह लेख।

मध्यप्रदेश में सिंचाई का सही आँकड़ा जानना कठिन

जलवायु परिवर्तन के दिखाई देने प्रभावों में जलस्रोतों का सिमटना आसानी से दिखाई देता है। इससे मिट्टी में नमी की कमी तथा सिंचाई पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है जिससे खेती और उससे जुड़ी आजीविका मूलक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही है। इन समस्या से निपटने के लिए मध्यप्रदेश सरकार प्रयासरत् है। लेकिन, सरकार द्वारा जिस स्तर पर प्रयासों की जानकारी दी जाती है मैदानी स्तर पर उतना असर दिखाई नहीं दे रहा है। सिंचाई संबंधित आँकड़ों की सार्वजनिक अनुपलब्धता से कई संदेह भी खड़े होते हैं।

मध्यप्रदेश का सिंचाई बजट
(करोड़ रूपए)

2015-16	6,607
2016-17	8,613
2017-18	9,850
2018-19	10,928
2019-20	9,808
2020-21	--
2021-22	5,962
2022-23	9,267

सिंचाई सुविधा के बारे में मध्यप्रदेश सरकार दावा करती रहती है कि उसके सत्ता संभालने के पूर्व दिसम्बर 2003 में प्रदेश का किसान मानसून वर्षा की दया पर निर्भर था। नई सिंचाई परियोजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन तथा निर्माण का कार्य लगभग बंद सा था। पुरानी सिंचाई परियाजनाओं में वितरण प्रणाली का समुचित संधारण न होने से इनका लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था। वर्ष 2002-03 में शासकीय सिंचाई योजनाओं से मात्र 7.50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो पा रही थी। सरकार के दावे के अनुसार 2004 में विश्व बैंक के कर्ज से प्रारंभ हुई 1919 करोड़ रूपए की जल क्षेत्र सुधार परियोजना से स्थितियाँ बदलनी शुरू हुई। वर्ष 2016-17 तक प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ कर 33 लाख हेक्टर हो गया था।[1]

सिंचाई का रकबा बढ़ा तो स्वाभाविक है कि खाद्यान्न उत्पादन में भी बढ़ौत्तरी दिखाई दी और मध्यप्रदेश की पहचान अनाज के कटोरे के रूप में प्रदर्शित की जाने लगी। अनाज उत्पादन के लिए प्रदेश को लगातार 7 बार राष्ट्रीय स्तर के कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल चुके हैं। वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2014-15 में समग्र खाद्यान्न् उत्पादन, 2013-14 और 2015-16 में गेहूँ उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 में गेहूँ उत्पादन (219 लाख मीट्रिक टन) और वर्ष 2017-18 में दलहन उत्पादन (81.12 लाख मीट्रिक टन) में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है।

लेकिन मध्यप्रदेश सरकार के सिंचाई संबंधी दावे का भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने एक क्षेत्र में सवाल उठाते हुए उसका खण्डन किया है। 31 मार्च 2016 को

[1] मध्यप्रदेश बजट वर्ष 2018-19

समाप्त हुए वर्ष के लिए आर्थिक क्षेत्र पर सीएजी की रिपोर्ट के दूसरे अध्याय में ''मध्य प्रदेश जलक्षेत्र पुनर्रचना परियोजना'' का ऑडिट है। इस परियोजना से मध्यप्रदेश के 5 नदी कछारों चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोंस में 6 लाख 18 हजार हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जाना था। बाद में इसमें वैनगंगा कछार भी जोड़ा गया। निर्धारित समयसीमा से 6 वर्ष देरी से पूरी हुई इस योजना पर 2,498 करोड़ खर्च हुए। सीएजी की इस रिपोर्ट की खासियत यह थी कि इसमें आम वित्तीय गड़बड़ियों के अलावा प्रदेश में पहली बार सिंचाई के आँकडों (जिसे रिपोर्ट में ओवर रिपोर्टेड कहा गया है) पर सवाल खड़ा किया गया था। यह बहुत गंभीर मामला है। सीएजी की इस रिपोर्ट में सिंध बेसिन में पड़ने वाले चंबल नहर तंत्र के वर्ष 2011 से 2016 के बीच के सिंचाई के घोषित आँकड़ों को अत्यधिक ''ओवर रिपोर्टेड'' पाया गया है।

सीएजी के खुलासे की परवाह किए बिना राज्य शासन ने इसी उपलब्धि को दोहराते हुए 2025 तक सिंचाई क्षमता 80 लाख हेक्टर विकसित करने का नया दावा भी किया गया। बाद में 15 महीनों के लिए बनी कमलनाथ सरकार ने भी इन्हीं आँकड़ों के आधार पर अगले 5 वर्षों में सिंचाई क्षमता का लक्ष्य 65 लाख हेक्टर रखा था।[2]

सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि ''मध्यप्रदेश जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना'' के अनुसार चंबल नहर तंत्र के आधुनिकीकरण से भिण्ड, मुरैना और श्योपुर जिलों में 2,73,000 हेक्टर सिंचाई क्षमता विकसित होना था। लेकिन प्रस्तावित से कहीं अधिक 4,42,000 हेक्टर सिंचाई होने का दावा कर दिया गया था। नहरी सिंचाई के मामले में ऐसा होना अविश्वसनीय है क्योंकि योजनाओं को लाभदायक दिखाने के लिए सिंचाई क्षमता वास्तविक से अधिक दिखाई जाती है और ऐसे में ये परियोजनाएँ अपने लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहती है। इस कारण ये योजनाएँ कभी भी अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाती है। केन्द्र सरकार के अनुसार देश की प्रमुख 5 सिंचाई परियोजनाओं – पोलावरम (आंध्र प्रदेश), सरयू नहर (उत्तर प्रदेश), गोसी खुर्द (महाराष्ट्र), तीस्ता बैराज (पश्चिम बंगाल) और शाहपुर कण्डी (पंजाब) – में लक्ष्य के मुकाबले केवल 34 प्रतिशत ही सिंचाई हो पाई है।[3]

सीएजी रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश के चंबल नहर तंत्र को सिंचाई का पानी कोटा बैराज (राजस्थान) की दाई तट नहर पर स्थित पार्वती एक्वाडक्ट से मिलता है। सरकार द्वारा जारी

---

[2] मध्यप्रदेश विधासभा के 2018 और 2019 के बजट सत्रों में राज्यपाल के अभिभाषण

[3] जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल द्वारा लोकसभा में 3 जनवरी 2019 को प्रश्न क्रमांक–3871 के संदर्भ में उपलब्ध करवाई जानकारी

सिंचाई के आँकड़ों की तुलना कमाण्ड क्षेत्र को उपलब्ध (पार्वती एक्वाडक्ट से) पानी से करने पर सीएजी ने बहुत बड़ा अंतर पाया। सरकार ने जितनी सिंचाई का दावा किया था उतनी सिंचाई उपलब्ध पानी की मात्रा से मानक अनुसार संभव नहीं थी।

चंबल नहर कमाण्ड में
सिंचाई संबंधी सरकारी दावे और उपलब्ध पानी से संभावित सिंचाई

वर्ष	जल आपूर्ति (एसीएम)	सिंचाई (हेक्टर)		अधिक दर्शाई गई सिंचाई	
		सरकारी दावा	उपलब्ध पानी से मानक अनुसार संभव सिंचाई	हेक्टर	प्रतिशत
2010-2011	451.46	1,12,534	76,748	35,786	46.63
2011-2012	1,045.97	2,58,161	1,77,815	80,346	45.19
2012-2013	1,080.72	2,96,047	1,83,722	1,12,325	61.14
2013-2014	883.47	3,08,453	1,50,190	1,58,263	105.38
2014-2015	1,073.91	3,23,784	1,82,565	1,41,219	77.35
2015-2016	1,334.36	3,65,327	2,26,841	1,38,486	61.05

स्रोत – Report of the Comptroller and Auditor General of India on Economic Sector for the Year Ended 31 March 2016 के पृष्ठ – 71 पर दी गई तालिका क्रमांक 2.2.14 का संशोधित रुप। तालिका में अंतिम कॉलम हमने जोड़ा है।

एक और तरीके से सीएजी ने सिंचाई के सरकारी आँकड़ों का परीक्षण किया। कमाण्ड क्षेत्र की मंडियों में कृषि उपज की कुल आवक की समान वर्षों में (1) सरकारी और (2) पानी की उपलब्धता आधारित सिंचाई के आँकड़ों से तुलना की। इससे सिध्द हुआ कि उपज और जल उपलब्धता आधारित संभावित सिंचाई के आँकड़ों में समानता है। सीएजी ने पाया कि चंबल क्षेत्र में रबी के लिए सूखा घोषित वर्ष 2013-14 में जब पानी की उपलब्धता कम रही तब भी सिंचाई के आँकड़े कम नहीं हुए। बल्कि जिस वर्ष पानी की उपलब्धता कम थी उस साल तो आनुपातिक रुप से सबसे ज्यादा सिंचाई दर्शाई गई।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए सिंचाई के आँकड़े वास्तविक सिंचाई के मुकाबले 35,786 से लेकर 1,58,263 हेक्टर तक बढ़ा कर दिखाए गए हैं। एक वर्ष तो ये दोगुने से अधिक बढ़ा कर दिखाए गए हैं।

2013-14 में जब पानी की उपलब्धता उसके पिछले वर्ष के मुकाबले 247 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) घटकर मात्र 833 एमसीएम रह गई थी और तब तक नहरों के सब माईनर और फील्ड चैनलों का निर्माण भी नहीं हो पाया था तब भी राज्य का जल संसाधन विभाग ''रिकार्ड सिंचाई'' के दावे कर रहा था। सीएजी की गणना के अनुसार यदि नहर तंत्र का काम पूरा हो गया होता और नहर प्रबंधन पूर्ण दक्ष होता तब भी 2013-14 में उपलब्ध पानी से केवल

1,50,190 हेक्टर क्षेत्र में ही सिंचाई संभव थी लेकिन विभाग ने अविश्वसनीय रूप से इतने कम पानी से 3,08,453 हेक्टर में सिंचाई यानी संभावित से दुगनी से भी अधिक होने का दावा किया था। सीएजी ने अत्यधिक बढ़ाचढ़ा कर दिखाए गए इन आँकड़ों को ''ओवर रिपोर्टेड'' कहा है जिसे आसान भाषा में फर्जी कहना सही होगा।

मध्यप्रदेश के जल संसाधन विभाग ने कम पानी से अधिक सिंचाई के बारे में तर्क दिया कि कमाण्ड क्षेत्र में ज्यादातर सरसो का उत्पादन होता है जिसमें कम पानी की जरुरत होती है। लेकिन सीएजी ने इस तर्क को खारिज कर दिया गया क्योंकि कमाण्ड के जिलों की प्रमुख फसल गेहूँ है जिसे अपेक्षाकृत अधिक पानी की जरुरत होती है। कृषि विभाग और कृषि उपज मण्डी के आँकड़ों से सीएजी ने सिद्ध किया इन वर्षों में कमाण्ड क्षेत्र के फसलचक्र में कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है जिससे कम पानी में अधिक सिंचाई संभव हो सके।

गंधवानी तहसील (जिला–धार) के भोरघाटा गाँव में **सिरोंज तालाब** की नहर जहाँ पिछले 10 सालों से पानी नहीं पहुँचा है। तालाब में उगे पेड़ों से इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इस स्थान के ठीक नीचे से चिकली गाँव की सीमा प्रारंभ होती है जहाँ नहर को पाट दिया गया है और उस जमीन पर खेती की की जाने लगी है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार करीब डेढ़ दशक से इस नहर में पानी नहीं छोड़ा गया।

शोधकर्ताओं के लिए मध्यप्रदेश में सिंचाई के अद्यतन आँकड़े प्राप्त करना असंभव सा है। जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता लिखित में स्वीकार कर चुके हैं कि उनके कार्यालय में

प्रदेश में सिंचाई से संबंधित आँकड़े उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय की एक नोटशीट संलग्नक के रूप में संलग्न है। जल संसाधन विभाग की वेबसाईट का भी यही हाल है। वेबसाईट पर बड़ी और मध्यम परियोजनाओं से सिंचाई के अद्यतन आँकड़े 10 साल पुराने यानी 2011-12 के हैं।[4]

लघु परियोजनाओं की सिंचाई के आँकड़े जरूर नए यानी 2020-21 तक के हैं। प्रदेश सरकार के दावे के अनुसार प्रदेश में पूर्ण हो चुकी 5,407 लघु परियोजनाओं से 12,12,698 हेक्टर सिंचाई क्षमता हासिल की जा चुकी है। लेकिन इन आँकड़ों पर सवाल हैं।[5]

मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रदेश के धार जिले की छोटी सिंचाई परियोजनाओं से क्षमता से दो–ढाई गुना अधिक सिंचाई होने का दावा किया गया था।[6] इन दावों की पुष्टि के लिए जब इनमें से कुछ तालाबों के कमाण्ड क्षेत्र का जब हमने दौरा किया तो हमने भी ठीक वैसा ही पाया जैसा सीएजी ने चंबल नहर के क्षेत्र में पाया था। यानी अत्यधिक ''ओवर रिपोर्टेड'' सिंचाई। गंधवानी तहसील के खोड़ और कोसदना तालाबों की कुछ नहरों में दशकों से पानी नहीं पहुँचा है। दशकों से बंद इन नहरों में या तो बड़े–बड़े पेड़ उग आए हैं या फिर किसानों ने बंद नहरों को पाट कर फिर से खेत बना दिए हैं। लेकिन, वहाँ अभी भी बिना पानी और बिना नहर के क्षमता से अधिक सिंचाई जारी है।

धार जिले की कुछ लघु सिंचाई योजनाओं का प्रदर्शन (हेक्टर)
वर्ष 2017-18

तालाब	लॉक	रूपांकित क्षमता		वास्तविक सिंचाई		
		खरीफ	रवी	खरीफ	रवी	क्षमता से अधिक %
खोड़	गंधवानी	0	370	0	435	117.6%
सिरोज	गंधवानी	532	868	0	1933	222.7%
सात उमरी	गंधवानी	0	65	0	72	110.8%
कोसदना	गंधवानी	111	156	0	400	256.4%

स्रोत–मध्यप्रदेश विधानसभा में सवाल क्रमांक–1535 पर दिए गए जवाब दिनांक 9 मार्च 2018 तथा सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी पर आधारित।

*चूँकि रूपांकित क्षमता के बावजूद इन परियोजनाओं से खरीफ में सिंचाई नहीं हुई है इसलिए प्रदर्शन का

[4] जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश की वेबसाईट – http://www.mpwrd.gov.in/major-completed last accessed on 27th May 2022

[5] जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश की वेबसाईट – http://eims1.mpwrd.gov.in/prjmtr/control/CompPubReportD;jsessionid=B747713E23EC77E024402A6F05E53D48.jvm1 last accessed on 27th May 2022

[6] विधायक श्री उमंग सिंघार द्वारा पूछे गए एक सवाल (क्र. 1535) पर मध्यप्रदेश विधानसभा में दी गई जानकारी

प्रतिशत रबी की क्षमता के आधार पर निकाला गया है।

इनमें से एक कोसदना तालाब से तो सूखा घोषित वर्ष 2017-18 में भी 156 हेक्टर के मुकाबले 400 हेक्टर सिंचाई होने का दावा किया गया था। इसी सूखे साल में बारिश खत्म होने तक सातउमरी तालाब बमुश्किल नहर के स्तर तक भर पाया था लेकिन तब भी इस तालाब से क्षमता से अधिक सिंचाई दर्ज की गई।

गंधवानी तहसील का सात उमरी तालाब जो कम बारिश के कारण 2018 का मानसून खत्म होने तक नहीं भर पाया था। लेकिन सरकारी आँकड़ों के अनुसार इससे लक्ष्य से अधिक सिंचाई हुई थी।

ये तथ्य मध्यप्रदेश की सिंचाई क्षमता तथा उसके प्रदर्शन के बारे में भ्रामक तस्वीर पेश करते हैं। साथ ही सिंचाई संबंधित आँकड़ों का सार्वजनिक नहीं किया जाना भी कई प्रकार के संदेह पैदा करता है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह सिंचाई आँकड़ों के बारे में पारदर्शिता रखे ताकि इनका तटस्थता से मूल्यांकन किया जा सके। अपारदर्शिता हमेशा संदेह पैदा करती रहेगी।

---==||0||==---

संलग्नक - 1

H/2

कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल

क्रमांक - 211 फाईल नं. 2112682/2018 दि० ~~पृष्ठ संख्या~~ 4/10/2018

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत जानकारी प्रदाय करने बाबत्।

पृ. पृ. से आगे —

सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदकों द्वारा वर्ष 2005-06 से लेकर वर्ष 2017-18 तक की निम्न सूचनायें, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियों में चाही है —

(1) म.प्र. में जिलावार सिंचाई (2) म.प्र. में परियोजनावार सिंचाई

सूचना की उपलब्धता के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है —

जिलों में वर्षवार की गयी सिंचाई की जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नही है, क्योंकि जिले की सम्पूर्ण सिंचाई में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त अन्य साधन जैसे निजी कुंए, टियूबवेल व ग्राम पंचायत के तालाब व स्टापडेम, विभिन्न नदियाँ व नाले व अन्य विभागों की संरचनायें जैसे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (NVDA), कृषि व उद्यानिकी विभाग आदि से की गयी सिंचाई भी सम्मिलित रहती हैं।

जल संसाधन विभाग में प्राथमिक तौर पर संभागीय कार्यालय तत्पश्चात् कछार/परियोजना के कार्यालय स्तर पर परियोजनावार/ ग्रामवार, वर्ष में की गयी सिंचाई के आंकड़े संकलित किये जाते हैं। वर्ष 2010-11 से यह कार्य विभागीय वेबसाइट पर भी किया जा रहा है। प्रमुख अभियन्ता कार्यालय भी समय-समय पर आवश्यकतानुसार वेबसाइट अथवा कछार स्तर से इनका विवरण प्राप्त करता है।

उक्त परिपेक्ष्य में आवेदकों द्वारा चाही गयी जानकारी प्रमुख अभियन्ता कार्यालय द्वारा संधारित नही किये जाने कारण उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।

सूचना अधिकारी के माध्यम से आवेदकों को अवगत कराया जा सकता है कि वे संभागीय कार्यालयों अथवा कछारीय कार्यालय से वर्ष 2006 से 2009 तक की परियोजनावार सिंचाई की जानकारी आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2009-10 से वर्ष 2017-18 तक की कछारवार/परियोजनावार सिंचाई की जानकारी विभागीय वेबसाइट www.mpwrd.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदक होम पेज पर IRRIGATION 2018-19 पर click कर वर्ष अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अवलोकनार्थ / आदेशार्थ।

[signature] 5/10/18 AE

EE/-II

अवलोकनानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। [signature] 5/10/18

सहायक लोक सूचना अधि.

अधीक्षण यंत्री (कार्य) से उपरोक्त टीप के अनुमोदन करवाने हेतु सादर प्रस्तुत।

E.E.II (कार्य) [signature] 10/10/18